

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 25/04/2022

क्रमांक एफ 23-08/2020/20-3:: विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 23.03.2022 द्वारा प्रदेश के 32 स्कूलों को स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित करने हेतु स्कूल की व्यवस्था एवं समस्त पद उत्कृष्ट विद्यालय संचालन हेतु गठित समिति को हस्तांतरित किया गया है।

2/ राज्य शासन एतद्वारा उक्त आदेश में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करते हुए कॉलम-03 में उल्लेखित पूर्व में चयनित एवं उत्कृष्ट विद्यालय संचालन हेतु गठित समिति को हस्तांतरित विद्यालयों एवं उनके स्वीकृत पदों को वापस लेते हुए, उनके स्थान पर कॉलम-04 में उल्लेखित विद्यालयों को चयनित कर उनके सम्मुख कॉलम-05 में उल्लेखित समस्त पदों सहित उत्कृष्ट विद्यालय संचालन हेतु गठित समिति को हस्तांतरित करता है:-

स. क्र.	जिला	पूर्व में चयनित आत्मानंद विद्यालय का नाम एवं स.क्र.	संशोधित विद्यालय का नाम	संशोधित विद्यालयों में कुल स्वीकृत पद
01	02	03	04	05
01	कबीरधाम	स.क्र. 20 स्वामी करपात्री जी शास. उ.मा.वि. कवर्धा	शास. आदर्श कन्या उ.मा.वि. कवर्धा	57
02	अंबिकापुर सरगुजा	स.क्र. 21 शास. बहु. उ.मा.वि. अंबिकापुर जिला सरगुजा	शास. उ.मा.वि. गांधीनगर अंबिकापुर जिला सरगुजा	36
03	सूरजपुर	स.क्र. 22 शास. आदर्श उ.मा.वि. बालक सूरजपुर	शास. बालक उ.मा.वि. विश्रामपुर जिला सूरजपुर	33
04	बस्तर	स.क्र. 26 शास. बहु. उ.मा.वि. जगदलपुर जिला बस्तर	शास. उ.मा.वि. रेल्वे कॉलोनी जगदलपुर	40
05	कांकेर	स.क्र. 29 शास. उ.मा.वि. पटौद वि.खं. कांकेर जिला कांकेर	शास. उ.मा.वि. सिदेसर वि.खं. कांकेर जिला कांकेर	37
06	कोण्डागांव	स.क्र. 30 शास. कन्या उ.मा.वि. कोण्डागांव जिला कोण्डागांव	शास. उ.मा.वि. तहसीलपारा कोण्डागांव जिला कोण्डागांव	26

2/ शेष सभी नियम/शर्तें/निर्देश पूर्ववत् रहेंगी।


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सरोज उईके)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, माननीय मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नवा रायपुर
 2. विशेष सचिव, मंत्री, छत्तीसगढ़, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर।
 3. अवर सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर।
 4. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर।
 5. प्रबंध संचालक, एस.सी.ई.आर.टी./समग्र शिक्षा, रायपुर।
 5. समस्त संयुक्त संचालक, संभागीय शिक्षा कार्यालय.....
 6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छ.ग.।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
7. गार्ड फाईल।



अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग